संख्या-152/2023/001-1042-1-23-10-2023-01(ब)/2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2023

विषय:-अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में पुर्नविनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4790बी0जी/31बी0-14/2023 दिनांक 28.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-01-वेतन की मद में उपलब्ध बचत का वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी एवं 03-निदेशन के अंतर्गत 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद एवं 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में कुल रू0 1150.00 लाख के पुर्नविनियोग का प्रस्ताव बी0एम0-9 प्रपत्र सहित उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 1150.00 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-03-निदेशन के अंतर्गत 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 75.00 लाख एवं 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद में रू0 30.00 लाख तथा 04-कार्यकारी के अंतर्गत 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद में रू0 150.00 लाख एवं 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान की मद में रू0 50.00 लाख अर्थात कुल रू0 305.00 लाख का पुर्नविनियोग करते हुये उक्तानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2059800010300 (निदेशन)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	054	2059800010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
2	054	2059800010300 निदेशन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
	कुल			**1,05,00,000 (रुपये एक करोड़ पांच लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800010400 (कार्यकारी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	054	2059800010400 कार्यकारी	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
2	054	2059800010400 कार्यकारी	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

महायोग	3,05,00,000 (रुपये तीन करोड़ पांच लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-152/2023/1042 /001-1042-1-23-10-2023-01-बा0-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।